



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03062021-227349
CG-DL-E-03062021-227349

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 306]
No. 306]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 3, 2021/ज्येष्ठ 13, 1943
NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 3, 2021/JYAISTHA 13, 1943

वित्त मंत्रालय
(वित्तीय सेवाएं विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जून, 2021

सा.का.नि. 384(अ).—केन्द्रीय सरकार, बीमांकक अधिनियम, 2006 (2006 का 35) की धारा 12 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 55 की उपधारा (2) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बीमांकक (परिषद का निर्वाचन) नियम, 2008 को, उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम बीमांकक (परिषद का निर्वाचन) नियम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.—(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “अधिनियम” से बीमांकक अधिनियम, 2006 (2006 का 35) अभिप्रेत है;

(ख) “अभिकरण” से राष्ट्रीय सुरक्षा निक्षेपागार, समिति केन्द्रीय निक्षेपागार सेवाएं (भारत) या ऐसी अन्य इकाई जो मानकीकरण परिक्षण और क्लालिटी प्रमाणन निदेशालय से प्राप्त प्रमाणपत्र रखता हो, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार और अधिकरण इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से संचालित करने के लिए परिषद द्वारा नियुक्त किए जाएंगे; अभिप्रेत है;

- (ग) “साइबर सुरक्षा” से सूचना, उपस्कर, युक्तियां, कम्प्यूटर, कम्प्यूटर संसाधन, संचार यंत्र और उसमें भंडारित सूचना के अनधिकृत पहुंच उपयोग, प्रकटीकरण, भंजन, उपांतरण या नाशकरण से संरक्षण अभिप्रेत है;
- (घ) “रिटर्निंग आफिसर” से अधिनियम की धारा 20 के अधीन परिषद द्वारा नियुक्त किया गया संस्थान का कार्यकारी निदेशक या यदि कार्यकारी का पद रिक्त है तो निर्वाचनों के संचालन के प्रयोजन के लिए उक्त धारा के अधीन परिषद द्वारा रिटर्निंग आफिसर के रूप में अभिहित संस्थान का ऐसा अधिकारी जिसे इन नियमों के अधीन कर्तव्य सौंपे गए हैं, अभिप्रेत है;
- (ङ) “सुरक्षित पद्धति” से कम्प्यूटर हार्डवेयर, साफ्टवेयर और प्रक्रिया अभिप्रेत है जो-
- अनाधिकृत पहुंच और दुरुपयोग से सुरक्षित हों;
 - विश्वसनियता और सही प्रचालन का पर्याप्त स्तर तक व्यवस्था करती हो;
 - वांछित कार्यों को करने में अनुकूल हो; और
 - सामान्य रूप से स्वीकृत सुरक्षा प्रक्रियाओं और साइबर सुरक्षा नीतियों के साथ अनुरूपता का पालन करती हो।
- (च) “अनुसूची” से इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है;

“इलेक्ट्रानिक साधनों द्वारा मतदान” या ‘इलेक्ट्रानिक मतदान प्रणाली’ से इलेक्ट्रानिक मतपत्र के प्रदर्शन सदस्यों के मत और पक्ष या विपक्ष में मतांकित मतों की संख्या, जो कि पर्याप्त साइबर सुरक्षा के साथ केन्द्रीकृत सर्वर में इलेक्ट्रानिक रजिस्ट्री में, इलेक्ट्रानिक साधनों द्वारा रजिस्टर्ड और गणना प्रक्रिया पर आधारित, सुरक्षित प्रणाली जिसमें दूरस्थ इलैक्ट्रानिक-मतदान भी सम्मिलित है; अभिप्रेत है।

(2) उन शब्दों और पदों का जो इसमें प्रयुक्त हैं और इन नियमों में परिभाषित नहीं है किंतु अधिनियम में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो अधिनियम में है।

3. परिषद के लिए सदस्य के निर्वाचन की तारीखें।— (1) परिषद के सदस्यों के लिए निर्वाचन अधिनियम की धारा 12 की उपधारा 2 के खंड (क) डाक मत पत्र के माध्यम से मत डाल कर या इलेक्ट्रानिक साधनों द्वारा या दोनों माध्यमों से जैसा कि समय समय पर परिषद निर्णय करे, कराया जाएगा।

(2) रिटर्निंग आफिसर परिषद के निर्वाचन के निम्नलिखित प्रक्रमों के लिए नियत तारीखों को परिषद के लिए निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख से कम से कम तीन मास पूर्व संस्थान के वेबपेज पर और संस्थान के मुख्यालयों के बुलेटिन-बोर्ड पर प्रकाशित करेगा, अर्थात्—

- (क) नामनिर्देशनों की प्राप्ति की अंतिम तारीख और समय संस्थान के वेबपेज या संस्थान के मुख्यालयों के बुलेटिन-बोर्ड पर प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन से कम का नहीं होगा;
- (ख) नामनिर्देशनों की संवीक्षा की तारीख खंड (क) के अधीन नियत नामनिर्देशन की प्राप्ति की अंतिम तारीख से तीन दिन के बाद की नहीं होगी;
- (ग) नामनिर्देशन वापस लेने की अंतिम तारीख और समय खंड (ख) के अधीन नियत नामनिर्देशन की संवीक्षा की तारीख से सात दिन के भीतर का होगा;
- (घ) वह तारीख जिसको मतपत्र मतदाताओं को भेजे जाएंगे;
- (ङ) वह तारीख जब यूजर आई डी और पासवर्ड इलेक्ट्रानिक साधनों द्वारा मतदान के लिए मतदाता को भेजी जाएंगी;
- (च) इलेक्ट्रानिक साधनों के माध्यम से मतदान के प्रारंभ की तारीख और समय;
- (छ) इलेक्ट्रानिक साधनों के माध्यम से मतदान के समाप्ति की तारीख और समय;

- (ज) मतदाताओं से मतपत्रों की प्राप्ति के लिए अंतिम तारीख और समय;
- (झ) मत गणना की तारीख;
- (ञ) परिणाम घोषित करने की तारीख;

(3) यदि किन्हीं परिस्थितियों के कारण, उप नियम (2) के अधीन निर्धारित तारीख को निर्वाचन नहीं होता है, तो रिटर्निंग आफिसर निरस्तीकरण या विलंबन से सात दिन के अंदर नई तारीख निर्धारित करेगा और उसे संस्थान के वेबपेज पर और संस्थान के मुख्यालयों के बुलेटिन-बोर्ड पर प्रकाशित करेगा:

परंतु ऐसी नई तारीख की घोषणा, उपनियम (2) के उपखंड (झ) और उपखंड (ञ) के अधीन तारीखों में परिवर्तन के सिवाय पुनर्रक्षित तारीख से कम से कम दस दिन पूर्व प्रकाशित की जाएगी।

(4) यदि संस्थान उप नियम (2) के अधीन निर्धारित तारीख को बंद रहता है तो संबंधित कार्य अगले दिन कर लिया जाता है जिसको संस्थान खुलता है तो वह कार्यकलाप सम्यक समय के अंदर किया गया माना जाएगा।

4. मत देने के लिए पात्र सदस्य.— इस अधिनियम के अधीन रहते हुए ऐसा कोई सदस्य निर्वाचन में मत देने के लिए पात्र होगा जिसका नाम उस वित्तीय वर्ष की पहली अप्रैल को रजिस्टर पर आ जाता है जिसमें परिषद के लिए निर्वाचन हुआ:

परंतु कोई सदस्य निर्वाचन के मत देने का पात्र नहीं होगा यदि उसका नाम मतदाताओं की सूची के प्रकाशन की तारीख को रजिस्टर से हटा दिया गया है।

5. मतदाता सूची.— (1) रिटर्निंग आफिसर, नामनिर्देशन की प्राप्ति की अंतिम तारीख से पैंतालीस दिन पूर्व, अनुसूची 1 में यथा विनिर्दिष्ट मत देने के लए पात्र मतदाताओं की सूची प्रकाशित करेगा।

(2) मतदाता सूची संस्थान के मुख्यालयों पर ऐसी फीस के संदाय पर उपलब्ध कराई जाएगी जो परिषद् द्वारा नियत की जाए और पात्र मतदाताओं की सूची अभिकरण को भी उपलब्ध कराई जाएगी।

(3) मतदाता सूची में किसी सदस्य के नाम के सम्मिलित होने से निर्वाचन में मत देने का कोई आत्यंतिक अधिकार नहीं मिल जाता, जो यथास्थिति अधिनियम और इन नियमों और इनके अधीन बनाए गए विनियमों के उपबंधों के अध्यधीन होगा।

(4) उपनियम (2) के अनुसार सूची की उपलब्धता के बारे में घोषणा संस्थान के वेबपेज पर और संस्थान के मुख्यालयों के बुलेटिन-बोर्ड पर प्रकाशित की जाएगी।

(5) यदि उपनियम (1) के अधीन प्रकाशित मतदाता सूची में कोई लेखन संबंधी भूल या लोप का पता लगता है तो रिटर्निंग आफिसर शुद्धिपत्र जारी करके नामनिर्देशनों की प्राप्ति की अंतिम तारीख तक उसका परिशोधन इस अभिकरण को सूचना के अधीन कर सकेगा।

6. निर्वाचन लड़ने के लिए पात्र सदस्य.— इन नियमों के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए कोई सदस्य जो उस वित्तीय वर्ष की पहली अप्रैल को अद्येता है जिसमें निर्वाचन कराया जाना है और जिसका नाम नियम 3 के उपनियम (2) के अधीन नामनिर्देशनों की संवीक्षा की अंतिम तारीख को रजिस्टर पर बना रहता है परिषद् के लिए निर्वाचन लड़ने के लिए पात्र होगा:

परंतु कोई सदस्य परिषद् के लिए निर्वाचन लड़ने का पात्र नहीं होगा, यदि—

- (क) वह किसी व्यावसायिक या अन्य अवचार का दोषी पाया गया है और उसका नाम रजिस्टर से हटा दिया जाता है अथवा जुमाने की शास्ति अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन अधिनिर्णित की जाती है; या
- (ख) अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (3) के अधीन वह केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई पद धारण किए हुए हैं; या
- (ग) जैसा कि अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन उपबंधित है; या
- (घ) वह अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के अधीन अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हो गया है और उसने वह पद कम से कम एक वर्ष की अवधि के लिए धारण किया है।

स्पष्टीकरण.—इस नियम में,—

(i) परंतुक के खंड (क) के अधीन निरहृता लागू करने के प्रयोजन के लिए, पूर्व में कारित अपराधों के लिए अधिनियम के प्रवर्तन में आने से पूर्व किसी व्यक्ति पर अधिनिर्णित शास्तियों या इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात् किसी व्यक्ति पर अधिनिर्णित शास्तियों को गणना में लिए जाएगा;

(ii) परंतुक के खंड (ख) के अधीन निरहृता को लागू करने के प्रयोजन के लिए भारत की संचित निधि से या किसी राज्य की संचित निधि से वेतन लेने वाले व्यक्ति के बारे में यह माना जाएगा कि वह एक ऐसा व्यक्ति है जो यथास्थिति केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अधीन पद धारण कर रहा है;

7. निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की संख्या.—रिटर्निंग आफिसर नामनिर्देशनों की प्राप्ति की अंतिम तारीख से पैंतालीस दिन पूर्व, संस्थान के वेबपेज पर निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की संख्या के संबंध में प्ररूप क में और नियम (3) के उपनियम (2) के अधीन प्रकाशित तारीख और समय तक निर्वाचन के लिए अभ्यर्थियों के नामनिर्देशन पत्रों की भावाभिव्यक्ति मांग करने वाली सूचना प्रकाशित करेगा।

8. नामनिर्देशन पत्र.—(1) परिषद् के लिए निर्वाचन हेतु प्रत्येक नामनिर्देशन पत्र प्ररूप ख में भरा जाएगा और रिटर्निंग आफिसर को नामनिर्देशन पत्र फाइल करने के लिए नियत तारीख को पांच बजे सायं तक प्रस्तुत किया जाएगा।

(2) कोई सदस्य परिषद् के निर्वाचन के लिए दो पूर्ण नामनिर्देशन पत्र फाइल कर सकेगा।

(3) रिटर्निंग आफिसर या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति अनुसूची 2 में यथाविनिर्दिष्ट जानकारी के साथ नामनिर्देशन पत्र प्राप्त करेगा और उसे अभिप्रामाणित करने के लिए नामनिर्देशन पत्र पर तरीख और समय के साथ अपने हस्ताक्षर अनुज्ञात करेगा।

9. नामनिर्देशन पत्र की संवीक्षा.—(1) यदि जांच पर नामनिर्देशन पत्र सही पाया जाता है तो रिटर्निंग आफिसर उसे स्वीकार करेगा और उस पर क्रम संख्यांक डालेगा।

(2) यदि संवीक्षा पर नामनिर्देशन पत्र त्रुटियुक्त पाया जाता है और

(क) त्रुटि गंभीर प्रकृति की नहीं है तो रिटर्निंग आफिसर सदस्य को उस त्रुटि का अपनी उपस्थिति में परिशोधन करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा;

(ख) यह सदस्य परिषद् का निर्वाचन लड़ने के लिए पात्र है और त्रुटि यह है कि समर्थक प्रस्तावक या प्रस्तावक यथास्थिति समर्थक का प्रस्तावक प्रस्तावक होने का पात्र नहीं है या सदस्य का समर्थक नामनिर्देशन पत्र फाइल करता है या सदस्य या प्रस्तावक या समर्थक के हस्ताक्षर असली है; और त्रुटि यह है कि नामनिर्देशन पत्र नियम 8 के उपबंधों के अनुसार नहीं है, तो रिटर्निंग आफिसर नामनिर्देशन पत्र का परिशोधन करने के लिए समय अनुज्ञात कर सकेगा जिसे वह ठीक समझे।

(3) यदि, संवीक्षा पर, नामनिर्देशन पत्र त्रुटियुक्त पाया जाता है और वह परिशोधित किए जाने योग्य नहीं है तो रिटर्निंग आफिसर नामनिर्देशन पत्र को खारिज कर देगा।

10. निर्वाचन लड़ने वाले सदस्यों की सूचियां तैयार करना.—(1) निर्वाचन लड़ने वाले सदस्यों को सूची प्रारूप ग में होगी और उसमें उनकी विशिष्टियां दी जाएंगी।

(2) उपनियम (1) के अधीन तैयार की गई सूची के अनुसार सदस्यों के नामों को पूरे पते सहित वर्णानुक्रम में लगाया जाएगा और नामों की सूची अभिकरण के साथ साझा की जाएगी।

(3) प्रत्येक सदस्य का उसका निर्वाचन अभिकर्ता निर्वाचन लड़ने वाले सदस्यों की एक सूची तुरंत उस पर सदस्यों के नमूने के रूप में हस्ताक्षर सहित भेजी जाएगी।

11. अभ्यर्थिता की वापसी.—(1) कोई सदस्य परिषद् के निर्वाचन से अपना नामांकन वापस लेने के लिए प्ररूप घ में सूचना देगा और ऐसी सूचना की प्राप्ति पर रिटर्निंग आफिसर उस सूचना पर वह स्थान, तारीख और समय अंकित करेगा जिस पर वह प्राप्त हुई थी।

(2) ऐसे किसी सदस्य को जिसने उपनियम (1) के अधीन सूचना दी है उस सूचना को रद्द करने या उसे वापस लेने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

12. अभ्यर्थियों की अंतिम सूची।—(1) रिटर्निंग आफिसर इन नियमों की अनुसूची-3 में यथा विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक सदस्य के ब्यौरे, जो कि अनुसूची-2 के अनुसार सदस्यों द्वारा दिए गए ब्यौरे पर आधारित है, के साथ, ऐसे सदस्यों के नाम का लोप करने के बाद, जिन्होंने अपना नाम निर्देशन वापस ले लिया है तैयार की गई अभ्यर्थियों की अंतिम सूची, डाक या इलेक्ट्रानिक माध्यम द्वारा, निर्वाचन लड़ने वाले सभी सदस्यों को और अभिकरण को भेजेगा।

(2) इलेक्ट्रानिक साधनों द्वारा मतदान की दशा में अभिकरण, इलेक्ट्रानिक मतदान प्लेटफार्म पर अंतिम सूची को प्रमुखता से प्रदर्शित करेगा।

(3) रिटर्निंग आफिसर द्वारा तैयार की गई उम्मीदवारों की अंतिम सूची संस्थान के वेबपेज पर और संस्थान के मुख्यालय के बुलेटिन-बोर्ड पर प्रकाशित किए जाएंगे।

13. निर्वाचन आचार संहिता।—(1) स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान स्वस्थ और शांतिपूर्ण माहौल कायम रखने की दृष्टि से रिटर्निंग आफिसर, जैसा कि परिषद् द्वारा अनुमोदित किया जाए, निर्वाचन की तारीख निर्धारित करने से पूर्व निर्वाचन लड़ने वाले सभी सदस्यों के लिए निर्वाचन आचार संहिता जारी करेगा और इसे संस्थान के वेबपेज और संस्थान के बुलेटिन बोर्ड पर डालेगा।

(2) निर्वाचन आचार संहिता में परिषद् के निर्वाचन के लिए अनुदेश मानदंड होंगे तथा ऐसी निर्वाचन आचार संहिता का निर्वाचन लड़ने वाले सदस्य और उसके प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा निर्वाचन के दौरान पालन किया जाएगा।

(3) निर्वाचन आचार संहिता नियम 3 के उपनियम (2) के अधीन निर्दिष्ट प्रकाशन के जारी किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होगी और प्रत्येक सदस्य की ओर से निर्वाचन आचार संहिता के उपबंधों का पालन किया जाना बाध्यकारी होगा।

14. सदस्य की मृत्यु।—(1) यदि मतपत्र या इलेक्ट्रानिक साधनों के द्वारा मतदान के लिए यूजर आई डी और पासवर्ड भेजे जाने की तारीख से पूर्व किंतु सदस्यता वापस लेने के लिए नियत तारीख के पश्चात् किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है, तो उसका नाम निर्वाचन लड़ने वाले सदस्यों की सूची से लोप कर दिया जाएगा और रिटर्निंग आफिसर अधिकरण को सूचना देगा।

(2) यदि मतपत्र के माध्यम से या इलेक्ट्रानिक साधनों के माध्यम से, मत देने की प्रक्रिया प्रारंभ होने के पश्चात् किंतु मतगणना प्रारंभ होने से पूर्व किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है और यह बात रिटर्निंग आफिसर की जानकारी में आ जाती है तो मृत सदस्य को दिए गए मतों को अनदेखा किया जाएगा।

(3) यदि मतगणना प्रारंभ होने के पश्चात् और परिणाम घोषित होने से पूर्व किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है और यह बात रिटर्निंग आफिसर की जानकारी में आ जाती है तो मृत सदस्य के हक में दिए गए मतों को अनदेखा किया जाएगा।

(4) यदि उस परिणाम की घोषणा के पश्चात् जिसमें उसे निर्वाचित घोषित किया गया है किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है और यह बात रिटर्निंग आफिसर की जानकारी में आ जाती है तो पारिमाणिक रिक्त स्थान अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (3) के उपबंधों के अनुसार भरी जाएगी।

15. यदि निर्वाचन लड़ने वाले सदस्यों की संख्या निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या के बराबर है या उससे कम है तो निर्वाचन लड़ने वाले सदस्य निर्वाचित किए गए समझे जाएंगे।—(1) जहां अभ्यर्थियों की संख्या अंतिम सूची जारी किए जाने की तारीख को निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या के बराबर है या उससे कम है तो रिटर्निंग आफिसर ऐसे अभ्यर्थी को सम्यक रूप से निर्वाचित घोषित करेगा।

(2) जहां अभ्यर्थियों की अंतिम सूची जारी होने की तारीख को, अभ्यर्थियों की संख्या निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या से ज्यादा है वहां रिटर्निंग आफिसर शेष सदस्यों या निर्वाचित होने वाले सदस्यों के निर्वाचन के लिए कार्यवाही आरंभ करेगा।

16. मतों की अनुज्ञेय संख्या।—(1) प्रत्येक मतदाता के पास रिक्ति के अनुसार केवल एक ही मत होगा।

(2) मतदाता अपना मत देने के लिए,—

(क) अपने मतपत्र पर उस सदस्य के नाम के ठीक सामने बॉक्स में सही का निशान (✓) लगाएगा जिसे वह मत देना चाहता है; और

(ख) यह सुनिश्चित करेगा कि उसने उतने सदस्यों से अधिक को मत नहीं दिया है जितनी रिक्तियां भरी जानी है।

17. मतपत्र.—परिषद् के निर्वाचन के लिए मतपत्र प्ररूप डॉ में होगा।

18. नाम निर्देशन पत्र की संवीक्षा और मतों की गणना के समय सदस्य की उपस्थिति.—(1) कोई सदस्य, स्वयं या उसके द्वारा लिखित में प्राधिकृत उसके अभिकर्ता को —

(क) नामनिर्देशन पत्रों की संवीक्षा के समय और निर्वाचन मत पत्र द्वारा होने की दशा में, मतों की गणना के समय उपस्थित होने का अधिकार रहेगा।

(ख) इलेक्ट्रानिक माध्यम से मतदान द्वारा निर्वाचन होने की दशा में, अभिकरण के प्रतिनिधि से इलेक्ट्रानिक माध्यम से मतदान की प्रक्रिया पर चर्चा का अधिकार होगा।

(2) उप नियम (1) में निर्दिष्ट लिखित प्राधिकार पत्र में सदस्य का पूरा नाम, पता और उसकी संख्या होगी तथा वह रिटर्निंग आफिसर के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

(3) रिटर्निंग आफिसर नामनिर्देशन पत्रों की संवीक्षा और मतों की गणना के समय यथा स्थिति प्रत्येक सदस्य या उसके प्राधिकृत अभिकर्ता की उपस्थिति को अभिलिखित करेगा।

19. मतदान की प्रक्रिया.—परिषद् के निर्वाचन के लिए मतदान ऐसी रीति में कराया जाएगा जो अनुसूची 4 में विनिर्दिष्ट है।

20. मतपत्रों या इलेक्ट्रानिक मतदान को अविधिमान्य घोषित करने के आधार.—किसी मतपत्र को निम्नलिखित आधारों पर अविधिमान्य घोषित किया जाएगा, अर्थात्:—

(क) यदि मतदाता मतपत्र पर अपना नाम लिखता है या हस्ताक्षर करता है या कोई शब्द लिखता है या इस पर चित्र बनाता है या उस पर नियम 16 के उपनियम (2) के खंड (क) के अधीन चिन्ह के अतिरिक्त कोई अन्य चिन्ह लगाता है जिसके द्वारा मतपत्र पहचाने जाने योग्य हो जाता है या जिसके द्वारा मतदाता की पहचान की जा सकती है; या

(ख) यदि वह परिषद् के प्राधिकार द्वारा या उसके अधीन मुद्रित नहीं किया गया है अथवा वह नियम 17 के अधीन मुद्रित मतपत्रों से किसी रीति में भिन्न है; या

(ग) उस पर कोई चिन्ह नहीं लगाया गया है या लगाये गये चिन्ह से है यह स्पष्ट रूप से अवधारित नहीं किया जा सकता कि मतदान किसके पक्ष में किया गया है; या

(घ) यदि उस पर नियम 16 के उप नियम 2 के खंड (क) में यथा निर्दिष्ट चिन्ह, निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या से अधिक है; या

(ङ) यदि उसे इस प्रकार अतिग्रस्त या विकृत कर दिया गया है कि सही मतपत्र के रूप में उसकी पहचान स्थापित नहीं की जा सकती; या

(च) यदि उसे मतदाता को भेजे गए लिफाफे में वापस नहीं किया गया है; या

(छ) यदि मतदान इलेक्ट्रानिक माध्यम से हुआ है और इस प्रयोजन के लिए नियत समय समाप्ति के पश्चात् निवेदन सर्वर पर पहुंचता है।

21. मतगणना का समय और तारीख।—रिटर्निंग आफिसर, मतपत्रों की प्राप्ति की अंतिम तारीख से पंद्रह दिन पूर्व, वह तारीख और समय निश्चित करेगा जिसपर संस्थान के मुख्यालय पर मतगणना प्रारंभ होगी और ऐसी तारीख और समय की सूचना लिखित रूप में प्रत्येक सदस्य या उनके अधिकारियों को देगा।

22. सहायक रिटर्निंग आफिसर की नियुक्ति।—परिषद् निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान रिटर्निंग आफिसर को उनके कर्तव्यों का पालन करने में सहायता करने के लिए संस्थान के अधिकारियों में से दो या अधिक सहायक रिटर्निंग आफिसर की नियुक्ति कर सकेगी।

23. मतगणना और परिणामों की घोषणा।—अनुसूची 5 में विनिर्दिष्ट प्रक्रियाओं के अनुसार मतों की गणना की जाएगी और निर्वाचन के परिणाम संस्थान के वेबपेज पर घोषित किए जाएंगे और संस्थान के मुख्यालयों के बुलेटिन-बोर्ड पर प्रारूप च में प्रदर्शित किए जाएंगे।

24. लोप आदि के कारण निर्वाचन का अविधिमान्य न होना।—कोई भी निर्वाचन मत देने के लिए पात्र सदस्यों की सूची से किसी सदस्य के नाम के किसी लोप या किसी सदस्य को मत देने के लिए अनुज्ञात न करने में किसी गलती के कारण या मत देने के लिए पात्र सदस्यों की सूची में मत देने के लिए गैर हकदार व्यक्ति के नाम को भूलवश सम्मिलित किए जाने के कारण अथवा ऐसे व्यक्ति को मत देने के लिए अनुज्ञात करने और निर्वाचन के संचालन में किसी अनियमितता या कमी के कारण जिसके अंतर्गत किसी मतदाता को मतपत्र भेजने में लोप या विलंब भी सम्मिलित है अथवा मतदाता को मतपत्र प्राप्त न होने के कारण या प्राप्त होने में विलंब के कारण अविधिमान्य नहीं माना जाएगा।

25. रिटर्निंग आफिसर के कर्तव्य।—(1) रिटर्निंग आफिसर निर्वाचन का संचालन इन नियमों के अनुसार करेगा।

(2) रिटर्निंग आफिसर, इन नियमों के अधीन उसके द्वारा पालन किए जाने वाले कर्तव्यों में से किसी कर्तव्य को सहायक रिटर्निंग आफिसरों को सौंप सकेगा।

26. अभिकरण का कर्तव्य।—(1) ऐसे इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्लेटफार्म उपलब्ध कराने वाले अभिकरण, इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्लेटफार्म पर आवश्यक “प्रायः पूछे गये प्रश्नों” के साथ विस्तृत इलेक्ट्रॉनिक मतदान के लिए प्रक्रिया का बखान सुनिश्चित करेगा और यह भी सुनिश्चित करेगा कि सभी सूचनाएं प्ररूप आदि नियम 12 के उप-नियम (2) के अधीन यथा अपेक्षित सदस्यों की सूची इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्लेटफार्म पर प्रमुख रूप से प्रदर्शित की गई है।

(2) अभिकरण सुरक्षित तरीके से प्रिंट या ईमेल द्वारा प्रत्येक पात्र सदस्य को यूजर लॉगिन और पासवर्ड सूचित एवं संसूचित करेगा।

(3) अभिकरण इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से मतदान के लिए सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म उपलब्ध कराएगा।

(4) मतदान का समय समाप्त हो जाने के बाद, अभिकरण सिस्टम द्वारा अधिकारियों को मतदान का सदस्यवार विवरण की रिपोर्ट, जो पात्र मतदाताओं की सूची के विरुद्ध सत्यापित होगी रिटर्निंग आफिसर को उपलब्ध कराएगा।

(5) उप नियम 4 में निर्दिष्ट सत्यापन के पश्चात, रिटर्निंग आफिसर अभिकरण को विसंगति, यदि कोई हो, के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(6) ऐसी रिपोर्ट की प्राप्ति के अनुसरण में, अभिकरण ऐसी विसंगति को स्पष्ट करेगा और अभ्यर्थी का नाम, अभ्यर्थी के नाम पर दिए गए मतों की संख्या, अभ्यर्थी के नाम पर अभिलिखित मतों की संख्या और निरस्त मतों की संख्या के बारे में विस्तृत वर्णन करते हुए इसकी अंतिम रिपोर्ट को प्रस्तुत करेगा।

(7) अभिकरण पारस्परिक रूप से परिषद के साथ सहमत अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा।

27. रिटर्निंग आफिसर के विनिश्चय का अंतिम होना।—जब तक कि इन नियमों में अन्यथा उपबंधित न हो, रिटर्निंग आफिसर का विनिश्चय, निर्वाचन के संचालन से संबंधित सभी मामलों में और ऐसे मामलों के लिए अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया से संबंधित सभी मामलों में जो इन नियमों में विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं हैं, अंतिम होगा।

स्पष्टीकरण - शंकाओं को दूर करने के लिए एतदद्वारा यह स्पष्टीकरण किया जाता है कि निर्वाचनों के संचालन में मतगणना की प्रक्रिया और परिणामों की घोषणा भी सम्मिलित है।

28. किसी स्थान में रिक्ति से परिषद् की संरचना विधारित नहीं होगी।—यदि किसी कारण से कोई स्थान निर्वाचन के पश्चात् नहीं भरा जाता है तो इससे अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (1) के अधीन परिषद् की संरचना का विधारित होना नहीं माना जाएगा।

29. निर्वाचन व्यय।—(1) ऐसा कोई भी सदस्य जिसका नाम नियम 12 के अधीन नामनिर्देशन पत्रों की अंतिम सूची में सम्मिलित हो चुका है, केन्द्रीय सरकार के परामर्श से नियत की जाने वाली ऐसी रकम से अधिक व्यय उपगत नहीं करेगा।

(2) ऐसा प्रत्येक सदस्य नियम 23 के अधीन निर्वाचन के परिणामों की घोषणा से पंद्रह दिन के भीतर परिषद् के समक्ष रखे जाने के लिए रिटर्निंग आफिसर को निर्वाचन के लिए उपगत व्ययों का पूर्ण लेखा फाइल करेगा।

30. निर्वाचन के संचालन के संबंध में सदस्य के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई।—(1) यदि परिषद् के किसी निर्वाचन के संबंध में कोई सदस्य के संबंध में यह पाया जाता है कि उसने उप-नियम (2) के उपबंध या उप-नियम (3) के किसी खंड या उप-नियम (4) के उपबंध का उल्लंघन किया है तो उसके बारे में यह माना जाएगा कि उसने अधिनियम की अनुसूची के भाग 4 की मद क (2) के अधीन संस्थान की प्रतिष्ठा को गिराया है।

(2) किसी सदस्य द्वारा निर्वाचन के संबंध में सदस्यों के विधिमान्य नामनिर्देशनों की अंतिम सूची के प्रकाशन की तारीख के पश्चात् केवल एक घोषणा पत्र जारी किया जाएगा।

(3) उपनियम (2) के अधीन जारी किया गया घोषणा पत्र निर्वाचन में मर्यादा को बनाए रखने के हित में निम्नलिखित अपेक्षाओं के अनुरूप होगा, अर्थात्:—

(क) घोषणा पत्र में सदस्य के बारे में जानकारी अंतर्विष्ट होगी और प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी अन्य सदस्य के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया जाएगा;

(ख) वह सूचना जिसे कोई सदस्य स्वयं के संबंध में घोषणा पत्र में दे सकेगा, नियम 12 के अधीन संस्थान द्वारा मतदाताओं को दी गई जानकारी से किसी भी मुद्दे पर भिन्न नहीं होगी और कोई सदस्य ऐसे घोषणा पत्र में नियम 12 के अधीन दी गई जानकारी में सम्मिलित न की गई किसी अतिरिक्त जानकारी को सम्मिलित कर सकेगा;

(ग) उपनियम (2) के अधीन जारी घोषणा पत्र में मतदाताओं को जाति, समुदाय, धर्म, क्षेत्र या वंशीय रूप से कोई अपील न तो की जाएगी और न कोई लंबे चौड़े दावे किए जाएंगे;

(घ) घोषणा पत्र का वितरण केवल संस्थान के सदस्यों तक निर्बंधित रखा जाएगा;

(ङ) ऐसे घोषणा पत्र की प्रमाणित प्रति स्पीड पोस्ट या ईमेल द्वारा या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या संवाहक के माध्यम से उसे जारी किए जाने के पंद्रह दिन के भीतर रिटर्निंग आफिसर को भेजी जाएंगी;

(च) जब कोई परिषद् का सदस्य उपनियम (2) के अधीन जारी किए गए घोषणा पत्र को उसकी अंतर्वस्तु में कोई परिवर्तन किए बिना किसी रूप में दोहराएंगा तब वह एक से अधिक घोषणा पत्र जारी नहीं करेगा।

(4) कोई सदस्य परिषद् के निर्वाचन के संबंध में निम्नलिखित किसी आचरण को नहीं अपनाएंगा, अर्थात्:—

(क) प्रत्यक्षतः या परोक्षतः उद्देश्य से किसी व्यक्ति को किसी सदस्य द्वारा या उसकी मौनानुकूलता से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कोई रिश्वत या कोई दान या परितोषण या उसकी प्रस्थापना करना या उसका वायदा:—

(i) किसी निर्वाचन में सदस्य के रूप में निर्वाचन लड़ने या निर्वाचन न लड़ने के लिए किसी सदस्य को उप्रेरित करने अथवा किसी कार्य या लोप के लिए उसे ईनाम देने; या

(ii) परिषद् की सदस्यता से वापस लेने के लिए किसी सदस्य को उप्रेरित करने या ऐसी वापसी के लिए ईनाम देने; या

(iii) किसी मतदाता को किसी निर्वाचन में मत देने या मत न देने के लिए उप्रेरित करने अथवा किसी कार्य या लोप के लिए ईनाम देने के।

स्पष्टीकरण।— (i) इस खंड के प्रयोजन के लिए “परितोषण” के अंतर्गत; पार्टियों का आयोजन करना या किसी अन्य प्रकार का मनोरंजन प्रदान करना और पुरस्कार के रूप में सभी प्रकार का नियोजन सम्मिलित है किन्तु

(ii) इसके अंतर्गत निर्वाचन में या निर्वाचन के प्रयोजन के लिए उपगत किया गया कोई सदभाविक व्यय का संदाय सम्मिलित नहीं है जहां धन के रूप में कोई परितोषण तक निर्बंधित नहीं है;

(ख) असम्यक् प्रभाव अर्थात् किसी मताधिकार के स्वतंत्र प्रयोग में किसी सदस्य की ओर से या उसकी मौनानुकूलता से किसी अन्य व्यक्ति की ओर से कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप अथवा हस्तक्षेप करने का प्रयत्न;

(ग) किसी अभ्यर्थी के निजी चरित्र या आचरण के संबंध में अथवा उसकी सदस्यता के संबंध में या उस अभ्यर्थी द्वारा सदस्यता वापस लिए जाने के संबंध में ऐसे किसी कथन का किसी सदस्य द्वारा या उसकी मौनानुकूलता से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रकाशन जो मिथ्या है और जिसके बारे में या तो वह यह विश्वास करता है कि वह मिथ्या है अथवा उसके सत्य होने के बारे में वह विश्वास नहीं करता और वह कथन युक्तियुक्त रूप से उस सदस्य के निर्वाचन की संभावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए परिकल्पित है;

(घ) किसी अभ्यर्थी द्वारा या उसकी मौनानुकूलता से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा सदस्य के निर्वाचन की संभावनाओं को अग्रसर करने के लिए भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन सेवारत किसी व्यक्ति से, ऐसे व्यक्ति द्वारा मत देने के अलावा यदि वह मत देने के लिए हकदार सदस्य है, कोई सहायता अभिप्राप करना या उपास करना अथवा अभिप्राप या उपास करने के लिए दुप्रेरित करना या प्रयत्न करना;

(ङ) इन नियमों के अधीन रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा निर्वाचिनों से संबंधित किसी विषय के संबंध में जारी किसी निदेश या परिपत्र या अनुदेश का अननुपालन;

(च) किसी राजनैतिक दल का प्रतिनिधित्व करते हुए निर्वाचन लड़ना;

(छ) किसी सदस्य द्वारा कोई परितोषण प्राप्त करना या पारितोषण प्राप्त करने के लिए करार करना,
अर्थात्—

(i) सदस्य के रूप में खड़े होने या न खड़े होने के लिए उप्रेरणा या पुरस्कार के रूप में; या

(ii) अपनी अभ्यर्थिता वापस लेने के लिए उप्रेरणा या पुरस्कार के रूप में; या

(iii) मत देने या मत देने से विलग रहने के लिए स्वयं के लिए या अन्य व्यक्ति के लिए उप्रेरणा या पुरस्कार के रूप में; या

(iv) किसी मतदाता को मत देने के लिए या मतदान से विरत रहने के लिए उप्रेरित करने या उप्रेरित करने का प्रयत्न करने या उप्रेरणा या पुरस्कार के रूप में; या

(v) परिषद् के किसी सदस्य को अपनी सदस्यता वापस लेने के लिए उप्रेरित करना या उप्रेरित करने का प्रयत्न करना;

स्पष्टीकरण:- इस खंड के प्रयोजन के लिए “परितोषण” सिर्फ धन संबंधी या धन मान्य परितोषण तक निर्बंधित नहीं है और इसके अंतर्गत पुरस्कार के लिए सभी प्रकार के मनोरंजन और सभी प्रकार के रोजगार सम्मिलित हैं।

(ज) इन नियमों के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन या दुरुपयोग या इन नियमों के किन्हीं उपबंधों का पालन करके ऐसा कोई कथन करना जिसे वह मिथ्या जानता है या उसका सत्य न होना जानता है;

(झ) खंड (क) से लेकर (ज) तक में विनिर्दिष्ट कोई कार्य जब वह ऐसे सदस्य द्वारा किया गया हो जो सदस्य नहीं हैं।

अनुसूची 1

(नियम 5 का उपनियम (1) देखिए)

मतदाता सूची

1. क्रम संख्या:

2. सदस्य का पूरा नाम:

3. मतदाता अध्येता है या सहयुक्त सदस्य:

4. पता:

5. मतदाता द्वारा संस्थान को दिए गए इंटरनेट पते या ई-मेल पते के ब्यौरे, परंतु मतदाता द्वारा मतदाता सूची में उसे सम्मिलित किए जाने के लिए अभिव्यक्त सहमति दी गई हो:

.....
रिटर्निंग ऑफिसर के हस्ताक्षर एवं मोहर

अनुसूची 2

(नियम 8 का उपनियम (3) देखिए)

नामनिर्देशन के साथ दिए जाने वाले कथन में सम्मिलित की जाने वाली जानकारी

1. सदस्य के नामनिर्देशन के साथ सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित और सत्यापित एक कथन दिया जाएगा जिसमें निम्नलिखित जानकारी अंतर्विष्ट होगी, अर्थात्:—

(क) मतदाता का नाम, सदस्यता संख्या और उसकी क्रम संख्या जो मतदाता सूची में वर्णित हैं:

(ख) जन्म तिथि:

(ग) वह तारीख जिसको सदस्य अध्येता बना:

(घ) क्या वह भारत का नागरिक है:

(ङ) क्या वह किसी वृत्तिक या अन्य अवचार का दोषी पाया गया है और परिणामस्वरूप क्या उसे धिगदंडित किया गया है या उसका नाम रजिस्टर से हटा दिया गया है या ‘जुमाने की शास्ति’ अधिनिर्णीत की गई है और वह नामनिर्देशन की तारीख को बरकरार है:

(च) यदि (ङ) का उत्तर सकारात्मक है तो निम्नलिखित ब्यौरे दें, जहां भी लागू हो (ऐसे प्रत्येक अवचार के लिए पृथक रूप से ब्यौरा दें जिसके लिए दोषी पाया गया है):

- (i) वह अपराध जिसके लिए वह दोषी पाया गया है;
- (ii) नोटिस (reprimand) की तारीखः
- (iii) वह तारीख जिससे उसका नाम उपरोक्त अनहंता के कारण रजिस्टर से हटा दिया गया था;
- (iv) नाम हटाए जाने की कुल अवधि:
- (v) वह तारीख जिसको नाम हटाए जाने की अवधि समाप्त हो गई;
- (vi) क्या नाम का हटाया जाना अधिनियम की अनुसूची के अधीन आने वाले अवचार के कारण था;
- (vii) वह तारीख जिसको जुर्माने की शास्ति अधिनिर्णीत की गई थी;
- (viii) जुर्माने की शास्ति की रकमः
- (ix) वह तारीख जिसको अधिनिर्णीत जुर्माने की शास्ति का संदाय किया गया था;
- (x) वह तारीख जिस तक परिषद् के निर्वाचनों के लिए खड़े होने पर निर्वाचन अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के परंतुक के निबंधनानुसार समाप्त हो गया:

(छ) परिषद् की, पूर्व की और वर्तमान की सदस्यता के ब्यौरे जिनके अंतर्गत संस्थान के अध्यक्ष और/या उपाध्यक्ष का पद धारण करना भी सम्मिलित है, क्या वह नियम 6 के स्पष्टीकरण के खंड (ii) में यथापरिभाषित केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई पद धारण किए हुए हैं।

2. पैरा 1 में निर्दिष्ट कथन में, सदस्य के विकल्प पर, निम्नलिखित की बाबत सदस्य से संबंधित जानकारी दी जा सकेगी अर्थात्:-

- (क) शैक्षणिक अर्हताएं {डिप्लोमा जिसके अंतर्गत अर्हता इतर डिप्लोमा तथा डिग्रियां और परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त वृत्तिक निकायों की सदस्यता भी है};
- (ख) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों या वृत्तिक निकायों की परीक्षाओं में और संस्थान द्वारा ली गई परीक्षाओं में योग्यता पुरस्कार (पहले तीन स्थानों तक सीमित);
- (ग) उपजीविका की विशिष्टियां:—
 - (i) नियोजन (वर्तमान नियोजक के नाम सहित पद नाम):
 - (ii) व्यवसाय (एकल स्वत्वधारी या भागीदारी जिसके अंतर्गत फर्म का नाम भी है);
 - (iii) यदि उपरोक्त (i) और (ii) के अंतर्गत नहीं आता है तो अन्य उपजीविका या नियोजन की विशिष्टियां:

.....
सदस्य के हस्ताक्षर

नाम
सदस्यता सं.
पता

अनुसूची 3

(नियम 12 का उपनियम (1) देखिए)

1. अंतिम सूची में निर्वाचन लड़ने वाले सदस्य की विशिष्टियां।—नामनिर्देशनों की अंतिम सूची के साथ निर्वाचन लड़ने वाले सदस्य की निम्नलिखित विशिष्टियां उस सीमा तक दी जाएंगी जिस तक वे सदस्य द्वारा नियम 9 के उपनियम (3) के अधीन दी गई हैं, अर्थात्:—

(क) मतदाता सूची के अनुसार मतदाता का नाम, सदस्यता संख्या, पता और उसकी क्रम संख्या:

(ख) जन्म तिथि:

(ग) वह तारीख जिसको सदस्य अध्येता बना:

(घ) क्या वह भारत का नागरिक है:

(ङ) क्या वह किसी वृत्तिक या अन्य अवचार का दोषी पाया गया है, उसके ब्यौरे जैसे कि अवचार की प्रकृति और अधिनिर्णीत दंड:

(च) परिषद् की, पूर्व की और वर्तमान की सदस्यता के ब्यौरे जिनके अंतर्गत संस्थान के उपाध्यक्ष का पद धारण करना भी सम्मिलित है:

(छ) शैक्षणिक अर्हताएं {डिप्लोमा - जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त अर्हता इतर डिप्लोमा तथा डिग्रियां और परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त वृत्तिक निकायों की सदस्यता भी है}:

(ज) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों या वृत्तिक निकायों की परीक्षाओं में और संस्थान द्वारा ली गई परीक्षाओं में योग्यता पुरस्कार (पहले तीन स्थानों तक सीमित):

(झ) उपजीविका की विशिष्टियां:—

(1) नियोजन (वर्तमान नियोजक के नाम सहित पद नाम):

(2) व्यवसाय (एकल स्वत्वधारी या भागीदारी जिसके अंतर्गत फर्म का नाम भी है):

(3) यदि उपरोक्त (1) और (2) के अंतर्गत नहीं आता है तो अन्य उपजीविका या नियोजन की विशिष्टियां।

2. रिटर्निंग आफिसर द्वारा रखा जाने वाला अभिलेख।—(1)रिटर्निंग आफिसर, मतपत्र भेजते समय, मत देने के लिए पात्र सदस्यों की सूची में मतदाता के नाम के सामने यह उपदर्शित करने वाला चिन्ह लगाएगा कि मतदाता को मतपत्र भेजा जा चुका है।

3. मत पेटी।—मत पेटी इस प्रकार संनिर्मित होगी कि उसमें डाला गया मतपत्र ताला खोले बिना या सील तोड़े बिना उससे वापस न निकाला जा सके।

अनुसूची 4

(नियम 19 देखिए)

मतदान की प्रक्रिया

1. मतपत्र, यूजर लॉगिन और पासवर्ड को डाक से भेजा जाना।—(1) रिटर्निंग आफिसर, नियम 3 के उपनियम (2) के खंड (ज) के उपबंध के अधीन मतदाताओं से वापस मतपत्रों की प्राप्ति के लिए घोषित अंतिम तारीख और समय से कम से कम इक्कीस दिन पूर्व, मतदाताओं को मतपत्र और प्ररूप के में अंतर्विष्ट अनुदेश जिनमें उस रीति को जिसमें उस पर मत अभिलिखित किया जाएगा, और उस रीति को स्पष्ट किया गया हो जिसमें अभिलिखित मतपत्र वापस किए जाएंगे तथा वह तारीख और समय विनिर्दिष्ट किया जाएगा जिस तक वह रिटर्निंग आफिसर तक पहुंचेगा रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट या कुरियर सेवा द्वारा भेजेगा।

(2) इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से होने वाले निर्वाचन की स्थिति में रिटर्निंग आफिसर या एजेंसी मतदाताओं को इलेक्ट्रॉनिक मतदान के लिए आवश्यक यूजर लॉगिन और पासवर्ड पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान के लिए प्रक्रिया को स्पष्ट करने वाले अनुदेशों के साथ, रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट या कुरियर सेवा द्वारा या ई-मेल द्वारा भेजेगा।

(3) इलेक्ट्रॉनिक मतदान के लिए अनुदेश स्पष्ट तौर पर निम्नलिखित कथन करेगा, अर्थात्:—

- (i) इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा मतदान के लिए सुविधा उपलब्ध कराने वाला संस्थान;
- (ii) सदस्य जो अपना मत रिमोट इलेक्ट्रॉनिक मतदान द्वारा दे चुके हैं वह पुनः अपना मत देने के लिए अधिकृत नहीं होंगे;
- (iii) इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा मतदान के लिए प्रक्रिया और रीति;
- (iv) समय-सूची जिसके अंतर्गत समय अवधि जिसके दौरान रिमोट इलेक्ट्रॉनिक मतदान द्वारा मत डाल सकता है;
- (v) एक बार सदस्य अपना मत इलेक्ट्रॉनिक तरीके से डाल चुका है तो वह रीति जिसमें उसने अपना मत दिया है, को उपांतरित या परिवर्तित नहीं कर सकेगा;
- (vi) यूजर लॉगिन और पासवर्ड के बारे में ब्यौरे।

(4) यदि मतदाता भारत से बाहर निवास करता है तो मतपत्र वायु डाक द्वारा डाक प्रमाण पत्र के अधीन डाक द्वारा मतपत्रों की प्राप्ति के लिए घोषित अंतिम तारीख और समय से कम से कम तीस दिन पूर्व भेजे जाएंगे।

2. अपरिदित और नए मतपत्रों का जारी किया जाना।—(1) जहां मतपत्र किसी कारण से अपरिदित वापस आ जाता है वहां रिटर्निंग आफिसर मतपत्र को मतदाता द्वारा किए गए अनुरोध पर रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट या कुरियर सेवा द्वारा पुनः भेजेगा।

(2) यदि कोई मतदाता उसे भेजे गए मतपत्र के साथ अनवधानता से ऐसी रीति में व्यवहार करता है कि उनका आसानी से उपयोग नहीं किया जा सकता तो उसे, उसके द्वारा खराब किए गए मतपत्र वापस कर दिए जाने के पश्चात्, एक नया मतपत्र भेजा जाएगा और उस अनवधानता के संबंध में रिटर्निंग आफिसर का समाधान करना होगा।

(3) रिटर्निंग आफिसर इस प्रकार वापस किए गए खराब मतपत्र को रद्द करेगा और उसे पृथक पैकेट में रखेगा तथा ऐसे मतपत्रों की गिनती करने के पश्चात् उन्हें एक पैकेट में रखेगा।

(4) यदि मतदाता ने इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान के लिए प्रदत्त यूजर लॉगिन और पासवर्ड को खो दिया है तब ऐसे में मतदाता इस बारे में रिटर्निंग आफिसर को सूचना भेजेगा जो अभिकरण को सूचित करेगा और अभिकरण ऐसी सूचना के प्राप्त होने पर परिणास्वरूप पूर्व में जारी यूजर लॉगिन और पासवर्ड को निष्क्रिय करेगा और मतदाता को नया यूजर लॉगिन और पासवर्ड जारी करेगा।

3. मतपत्रों की समय से प्रति।—मतपत्रों से युक्त सभी पैकेट प्ररूप छ के अनुसार बाह्य आवरण के साथ रिटर्निंग आफिसर को संबोधित किए जाएंगे और रिटर्निंग आफिसर या सहायक रिटर्निंग आफिसर तदुपरांत आवक रजिस्टर में ऐसे पैकेट की

प्राप्ति की तारीख और समय की प्रविष्टि करेगा और तब मतपेटी में डालेगा तथा ऐसे मतपत्रों को जो उसे विनिर्दिष्ट तारीख और समय तक प्राप्त नहीं होते हैं, एक तरफ रख देगा तथा ऐसे मतपत्रों को, पैकेट पर ऐसे मतपत्रों की संख्या डालते हुए पैकेट में एक साथ रखेगा।

4. मतदान प्रक्रिया की संवीक्षा।—रिटर्निंग ऑफिसर स्पष्ट और पारदर्शी रीति में, यथास्थिति, मतदान या रिमोट इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रक्रिया की संवीक्षा करेगा:

परंतु रिटर्निंग ऑफिसर ऐसे अन्य व्यक्ति की, जो इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणाली में निपुण है, की सहायता ले सकता है।

अनुसूची 5

(नियम 23 देखिए)

मतगणना की प्रक्रिया और परिणामों की घोषणा

1. मतगणना।—मतगणना के प्रयोजन के लिए नियम 22 के अधीन नियत तारीख, समय और स्थान पर रिटर्निंग ऑफिसर निम्नलिखित प्रक्रमों पर होकर क्रमबद्ध रूप से गुजरेगा, अर्थात्:—

- (क) सदस्य और उसके अभिकर्ता को मतगणना के समय उपस्थित रहने के लिए अनुज्ञात करेगा, उनका इस बारे में समाधान करने के लिए कि मतपेटी और सील यथावत है, मतपेटी और सील का निरीक्षण करने का अवसर देगा;
- (ख) यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि मतपेटी सही सलामत है तो,—
 - (i) मतपेटी खोली जाएगी और मतपत्रों से युक्त लिफाफों को उससे बाहर निकाला जाएगा तथा उनकी गणना और विवरण में उनकी संख्या अभिलिखित की जाएगी;
 - (ii) सदस्य या उसके अभिकर्ता को मतगणना के समय मतपत्रों से युक्त लिफाफों का निरीक्षण करने के लिए और उनका इस बारे में समाधान करने के लिए अनुज्ञात करेगा कि वे सही सलामत हैं किन्तु उन लिफाफों पर कोई कार्रवाई करने के लिए अनुज्ञात नहीं करेगा;
- (ग) उन लिफाफों को एक तरफ करेगा जो अनुसूची 4 के पैरा 1 के अनुसार प्राप्त नहीं हुए हैं;
- (घ) उन लिफाफों के ऊपर लगे बाह्य आवरणों प्ररूप छ को खोलेगा जिनमें मतपत्र हैं;
- (ङ) ऐसे लिफाफों को अलग करेगा जिनमें एक से अधिक मतपत्र के लिफाफे हैं;
- (च) मतपत्र के लिफाफों को खोलेगा और प्रत्येक लिफाफे से मतपत्रों को निकालेगा तथा विवरण में उनकी संख्या अभिलिखित करेगा; और उन मतपत्रों का एक पृथक पैकेट तैयार करेगा;
- (छ) मतपत्रों की जांच की जाएगी और नियम 20 के अनुसार किसी अविधिमान्य मतपत्रों को खारिज करेगा;
- (ज) रिटर्निंग ऑफिसर, किसी मतपत्रों को खारिज करने से पूर्व, प्रत्येक सदस्य या उसके प्रतिनिधि को मतपत्र का निरीक्षण करने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करेगा किन्तु उसे उसके साथ व्यक्तिगत रूप से कोई कार्रवाई करने या किसी अन्य मतपत्र के साथ कार्रवाई करने के लिए अनुज्ञात नहीं करेगा;

- (झ) रिटर्निंग आफिसर ऐसे प्रत्येक मतपत्र पर जिसे वह खारिज करता है, ‘खारिज किया गया’ शब्द और खारिजी के आधारों को या तो अपने हस्तलेख में या रबर स्टाम्प के माध्यम से संक्षिप्त रूप में पृष्ठांकित करेगा;
- (ज) इस नियम के अधीन खारिज किए गए सभी मतपत्रों को एक साथ एक बंडल में बांधा जाएगा;
- (ट) रिटर्निंग आफिसर तब खारिज किए गए मतपत्रों की संख्या की गिनती करेगा और उस संख्या को लेखबद्ध करेगा;
- (ठ) “इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान” की दशा में, अभिकरण अभ्यर्थी का नाम, अभ्यर्थियों के नाम मतदान में मतों की संख्या, अभ्यर्थियों के नाम पर अभिलिखित मतों की संख्या और निरस्त हुए मतों की संख्या से युक्त अपनी अंतिम रिपोर्ट उपलब्ध कराएगी।

2. बराबर की स्थिति में प्रक्रिया.—जब मतगणना के पश्चात् दो या उससे अधिक अभ्यर्थियों के बीच बराबर की स्थिति पाई जाती है तब बराबर की स्थिति वाले अभ्यर्थियों के बीच लॉटरी निकाली जाएगी और सफल अभ्यर्थी को एक अतिरिक्त मत प्राप्त हुआ माना जाएगा।

3. पुनः मतगणना के लिए उपबंध.—कोई सदस्य या उसकी अनुपस्थिति में उसका अभिकर्ता, मतगणना के दौरान समय रिटर्निंग आफिसर से सभी या किसी सदस्य के मतों के पुनः जांच करने या पुनः मतगणना करने के लिए लिखित अनुरोध ऐसी पुनः मतगणना की मांग करने के आधारों के साथ कर सकेगा और सदस्य का ऐसा अनुरोध प्राप्त होने के पश्चात् रिटर्निंग आफिसर उनकी पुनः जांच या पुनः मतगणना कर सकेगा, यदि वह यह पाता है कि दिए गए कारण मतगणना कराए जाने के लिए पर्याप्त हैं।

4. अध्यक्ष को रिपोर्ट.—मतगणना पूरी होने के पश्चात् रिटर्निंग आफिसर एक विवरण तैयार करेगा जिसमें परिषद् के प्रत्येक सदस्य द्वारा प्राप्त मतों की संख्या दर्शित की जाएगी। उक्त विवरण में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त मतों की संख्या को अवरोही क्रम में दिया जाएगा। रिटर्निंग आफिसर अध्यक्ष को मतगणना के परिणाम प्रूफ डॉ में और मतगणना प्रक्रिया के बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा जिसके अंतर्गत उसे प्राप्त मतपत्रों से युक्त लिफाफों का पुनर्मिलाप भी है।

प्रारूप क

(नियम 7 देखिए)

मतदाताओं के लिए मतपत्र भरने के संबंध में दिशानिर्देश

सभी अध्येता और सहयुक्त सदस्यों के लिए,

प्रिय सदस्य,

संदर्भ: परिषद् (.....) का निर्वाचन

उन रिक्तियों को भरने के लिए जो खाली हुई हैं, वर्णनुक्रम में रखे गए निम्नलिखित [*] विधिमान्य नामनिर्देशन प्राप्त हुए हैं।

1.		2.	
3.		4.	
5.		6.	
7.			

चूंकि परिषद् के सदस्यों के निर्वाचन के लिए नियमों के अनुसार नामनिर्देशनों की संख्या रिक्त स्थानों की संख्या से अधिक है इसलिए रिक्त स्थानों को भरने के लिए [*] सदस्यों को निर्वाचित करने के लिए निर्वाचन कराना आवश्यक है।

इसके साथ मतपत्र संलग्न है जिसमें निर्वाचन लड़ने वाले सदस्यों के नाम के साथ उनका संक्षिप्त ब्यौरा दिया गया है। निर्वाचन पद्धति निम्न प्रकार है:

1. उस अभ्यर्थी के नाम के सामने जिसे आप मत देना चाहते हों, सही का चिन्ह (✓) लगाकर अपना विकल्प इंगित करें।
2. [*] अभ्यर्थियों से अधिक के सामने सही का चिन्ह नहीं लगाएं। तथापि, आप अभ्यर्थियों से कम के लिए सही का चिन्ह लगा सकते हैं।
3. [*] अभ्यर्थियों से अधिक के सामने सही का चिन्ह लगाने से आपका मतपत्र अविधिमान्य हो जाएगा।
4. मतपत्र पर हस्ताक्षर न करें या कोई अन्य उपदर्शन न लगाएं।
5. ऊपर वर्णित रूप में अपना विकल्प उपदर्शित करने के पश्चात् मतपत्र को संलग्न गुलाबी रंग के लिफाफे में रखें जो हमारे द्वारा प्रदान किया गया है और उसे बंद कर दें। कृपया इस लिफाफे पर कुछ न लिखें।
6. कृपया उस रंगीन बंद लिफाफे को जिसमें मतपत्र रखा हुआ है, सफेद लिफाफे में रख दें और उस पर रिटर्निंग आफिसर को नाम से संबोधित करें तथा उसे बंद कर दें कृपया सफेद लिफाफे के बाह्य फ्लैप पर, जब वह बंद हो जाए, स्पष्ट रूप से अपना नाम, अपनी सदस्यता का वर्ग और अपने नाम के ऊपर हस्ताक्षर कर दें। यह मतदाता सूची से उसकी पहचान के लिए है यदि कोई सदस्य फ्लैप पर अपना नाम और हस्ताक्षर करने में असफल रहता है तो वह मतपत्र अविधिमान्य माना जाएगा।
7. सफेद लिफाफा रिटर्निंग आफिसर के पास [तारीख विनिर्दिष्ट करें] को सायं 5.00 बजे तक पहुंच जाना चाहिए। इस तारीख/समय के पश्चात् प्राप्त मतपत्र से युक्त लिफाफों को अविधिमान्य माना जाएगा।

आपका,

रिटर्निंग आफिसर
मोहर सहित

*संख्या अंतर्विष्ट करें

टिप्पण : केवल इसके साथ संलग्न मतपत्र जो सम्यक् रूप से अधिप्रमाणित किया गया है, स्वीकार किया जाएगा।

प्रारूप ख

(नियम 8 का उपनियम (1) देखिए)

वर्ष..... के लिए परिषद् के निर्वाचन हेतु नामनिर्देशन का प्रारूप

मैं, जो संस्थान का अध्येता सदस्य हूं, संस्थान की परिषद् के सदस्य के रूप में निर्वाचित किए जाने की अपनी इच्छा व्यक्त करता हूं।

तारीख.....

सदस्य के हस्ताक्षर

मैं, जो संस्थान का अध्येता/सहयुक्त [जो लागू न हो उसे काट दें] सदस्य हूं, संस्थान की परिषद् के सदस्य के रूप में निर्वाचन हेतु श्री/सुश्री, अध्येता सदस्य का प्रस्ताव करता हूं।

तारीख.....

(प्रस्तावक के हस्ताक्षर)

मैं, जो संस्थान का अध्येता/सहयुक्त [जो लागू न हो उसे काट दें] सदस्य हूं, उपरोक्त प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

तारीख.....

(समर्थक के हस्ताक्षर)

प्रारूप ग

(नियम 10देखिए)

संस्थान का प्रतीक

निर्वाचन लड़ने वाले सदस्यों की सूची

क्रम सं.	निर्वाचन लड़ने वाले सदस्य का नाम	निर्वाचन लड़ने वाले सदस्य के नमूना हस्ताक्षर
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		

.....
मोहर सहित रिटर्निंग आफिसर के हस्ताक्षर

प्रारूप घ

(नियम 11 देखिए)

संस्थान का प्रतीक

परिषद् के निर्वाचन से नामनिर्देशन वापस लेने की सूचना

मैं, जो संस्थान का अध्येता सदस्य हूं, परिषद् के तारीख के निर्वाचन से अपनी सदस्यता वापस लेता हूं।

तारीख:.....

सदस्य के हस्ताक्षर

सदस्यता संख्या.....

पता :.....

प्रारूप ड

(नियम 17 देखिए)

संस्थान का प्रतीक

परिषद् के निर्वाचन के लिए मतपत्र

(नाम वर्णनक्रम में हैं)

क्रम सं.	सदस्य का नाम	मत *
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		

कृपया उस सदस्य के नाम के सामने सही का चिन्ह लगाएं जिसे आप मत दे रहे हैं। [*] से अधिक सही के निशान मतपत्र को अविधिमान्य कर देंगे।

* संख्या अंतःस्थापित करें।

प्रारूप च

(नियम 23 देखिए)

परिषद् के निर्वाचन के परिणाम

रिटर्निंग आफिसर ने दिन-मास-वर्ष को पूरे हुए निर्वाचन की प्रक्रिया पर नियमों की अनुसूची 5 के खंड (4) के निबंधनानुसार अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

परिषद् में [*] रिक्तियों को भरने के लिए [*] नामनिर्देशन प्राप्त हुए थे और नियमों के उपबंधों के अनुसार निर्वाचन हुआ था।

अभ्यर्थियों और उनके पक्ष में पड़े मतों की संख्या को अवरोही क्रम में इस प्रकार दर्शित किया गया है:

क्रम सं.	अभ्यर्थी का नाम और पता	पड़े मतों की संख्या	अभिलिखित मतों की संख्या	रद्द मतों की संख्या
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				

रिटर्निंग आफिसर के हस्ताक्षर और मुहर

*संख्या अंतर्विष्ट करें

प्रारूप छ

(अनुसूची 4 देखिए)

रिटर्निंग आफिसर को नाम से संबोधित बाह्य आवरण

डाक टिकट

मतपत्र - मतगणना से पूर्व नहीं खोला जाना चाहिए

श्री/सुश्री.....

रिटर्निंग आफिसर,

इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज ऑफ इंडिया

मुंबई

[फा.सं. एम-18013/03/2020-वीमा-I]

सौरभ मिश्रा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Financial Services)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd June, 2021

G.S.R. 384(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of section 55, read with sub-section (2) of section 12 of the Actuaries Act, 2006 (35 of 2006) and in supersession of the Actuaries (Election to the Council) Rules, 2008, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Actuaries (Election to the Council) Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—(1) In these rules, unless the context otherwise requires,—

- (a) “Act” means the Actuaries Act, 2006 (35 of 2006);
- (b) “agency” means the National Securities Depository Limited, Central Depository Services (India) Limited or such other entity which has obtained a certificate from the Standardisation Testing and Quality Certification Directorate, Ministry of Electronics and Information Technology, Government of India, who is appointed by the Council for conducting voting through electronic means;
- (c) “cyber security” means protecting information, equipment, devices, computer, computer resource, communication device and information stored therein from unauthorised access, use, disclosure, disruption, modification or destruction;
- (d) “Returning Officer” means the person assigned the duties of such officer under these rules, who shall be the Executive Director appointed by the Council under section 20 of the Act, or, in case the post of Executive Director is vacant, such other officer appointed by the Council under the said section who is designated by the Council as the Returning Officer;
- (e) “secured system” means computer hardware, software and procedure that—
 - (i) are secure from unauthorised access and misuse;
 - (ii) provide adequate level of reliability and correct operation;
 - (iii) are suited to perform the intended functions; and
 - (iv) adhere to generally accepted security procedures and are in conformity with cyber security policies.

- (f) “Schedule” means the Schedule to these rules; and

- (g) “voting by electronic means” or “electronic voting system” means a secured system based process of display of electronic ballots, recording of votes of the members and the number of votes polled in favour or against the contesting candidates, such that the voting by way of electronic means gets registered and counted in an electronic registry in a centralised server with adequate cyber security, and includes remote electronic voting.

(2) Words and expressions used herein and not defined in these rules, but defined in the Act shall have the same meaning as assigned to them in the Act.

3. Dates of election of members to the Council.—(1) The election of members to the Council under clause (a) of sub-section (2) of section 12 of the Act shall be held by casting votes through postal ballot or voting by electronic means or both, as may be decided by the Council from time to time.

(2) The Returning Officer shall publish on the webpage of the Institute and the bulletin board of the Institute at its headquarters, at least three months before the date of declaration of result of election to the Council, the dates fixed for the following stages of election of members to the Council, namely:—

- (a) the last date and time for receipt of nominations, which shall not be less than twenty-one days from the date of the publication on the webpage of the Institute or the bulletin board;
- (b) the date of scrutiny of nominations, which shall not be more than three days from the date fixed under clause (a);
- (c) the last date and time for withdrawal of nominations, which shall be within seven days from the date fixed under clause (b);
- (d) the date on which the ballot papers shall be sent to the voters;

- (e) the date on which user login and password shall be sent to the voters for voting by electronic means;
- (f) the date and time of commencement of voting through electronic means;
- (g) the date and time of end of voting through electronic means;
- (h) the last date and time for receipt of ballot papers from voters;
- (i) the date of counting of votes;
- (j) the date of declaration of results.

(3) If for any reason the elections are not held on the date fixed under sub-rule (2), the Returning Officer shall fix a fresh date within seven days from cancellation or postponement thereof and shall publish the fresh date on the webpage of the Institute and on the bulletin board of the Institute at its headquarters:

Provided that such publication shall be at least ten days before the fresh date, except for any fresh dates fixed under sub-clauses (i) and (j) of sub-rule (2).

(4) If the Institute is closed on a last date fixed under sub-rule (2), the related activity shall be considered as done in time if it is done on the next day on which the Institute is open.

4. Members eligible to vote.—Subject to the provisions of the Act, a member whose name is borne on the register on the first day of April of the financial year in which the election to the Council is to be held, shall be eligible to vote in the election:

Provided that a member shall not be eligible to vote in the election if his name has been removed from the register on the date of publication of the list of voters.

5. List of voters.—(1) The Returning Officer shall publish a list of voters eligible to vote, as specified in Schedule 1, before forty-five days of the last date fixed for receipt of nominations.

(2) The list of voters shall be made available at the headquarters of the Institute on payment of such fee as may be fixed by the Council and shall also be made available to the agency.

(3) The inclusion of the name of a member in the list of voters shall not confer an absolute right to vote at the election and shall be subject to the provisions of the Act and the rules and regulations made thereunder.

(4) An announcement about the availability of the list referred to in sub-rule (2) shall be published on the webpage of the Institute and the bulletin board of the Institute at its headquarters.

(5) If a clerical mistake or omission is detected in the list of voters published under sub-rule (1), the Returning Officer may, till the last day of receipt of nominations, rectify the same by issuing a corrigendum, under intimation to the agency.

6. Members eligible to contest election.— Subject to other provisions of these rules, a member, who is a fellow on the first day of April of the financial year in which an election is to be held and whose name continues to be borne on the register on the last date of scrutiny of nominations under sub-rule (2) of rule 3, shall be eligible to contest election to the Council:

Provided that a member shall not be eligible to contest election to the Council if—

- (a) he attracts the ineligibility under the proviso to clause (a) of sub-section (2) of section 12 of the Act on account of having been found guilty of any professional or other misconduct and removal of his name from the register or having been awarded any penalty or fine; or
- (b) he attracts the ineligibility under sub-section (3) of section 12 of the Act on account of holding a post under the Central Government or a State Government; or
- (c) he attracts the bar on eligibility as provided under sub-section (1) of section 14 of the Act; or
- (d) he has been elected as President under sub-section (1) of section 17 of the Act and has held that office for a period of not less than one year.

Explanation.—In this rule,—

- (i) for the purposes of the ineligibility under clause (a), the penalties awarded to a person before coming into force of the Act, or penalties awarded to a person after the commencement of the Act, for offences committed previously shall also be taken into account;
- (ii) for the purposes of clause (b), a person drawing salary from the Consolidated Fund of India or the Consolidated Fund of a State shall be deemed to be a person holding a post under the Central Government or the State Government concerned, as the case may be.

7. Number of members to be elected.—The Returning officer shall, before forty-five days of the last date fixed for receipt of nominations, publish on the webpage of the Institute in Form A regarding guidance to the voter for filling up the ballot paper, which shall contain the details of the valid nominations received for election by the date and time published under sub-rule (2) of rule 3.

8. Nomination paper.—(1) Every nomination paper for election to the Council shall be completed in Form B and presented before the Returning Officer not later than 5 p.m. on the last date fixed for filing of nomination papers.

(2) A member may file up to two complete nomination papers for the election to the Council.

(3) The Returning Officer or any person authorised by him in this behalf shall receive nomination papers along with the information specified in Schedule 2 and shall affix his signature on the nomination papers with date and time to authenticate the same.

9. Scrutiny of nominations paper.—(1) If, on scrutiny, a nomination paper is found to be in order, the Returning Officer shall accept the same and assign a serial number thereto.

(2) If, on scrutiny, a nomination paper is found to be defective, and—

- (a) where the defect is formal in nature, the Returning Officer may allow the member to rectify the same in his presence;
- (b) where the member is eligible to contest the election to the Council and the defect is that either the proposer or the seconder is not eligible to be proposer or seconder for the filing of nomination papers, or where the signatures of the member, proposer and seconder are genuine and the defect is that the nomination paper is not in accordance with the provisions of rule 8, the Returning Officer may allow such time, not exceeding seven days, as he may deem fit for rectifying the nomination paper.

(3) If, on scrutiny, the nomination paper is found to be defective and not rectifiable, the Returning Officer shall reject the nomination paper.

10. Preparation of lists of contesting members.—(1) The list of contesting members shall be in Form C and shall contain the particulars set out therein, and a copy of the same shall be made available to the agency.

(2) The names of members in the list referred to in sub-rule (1) shall be arranged in alphabetic order, along with the complete address of each member.

(3) The list of contesting members with a specimen signature thereon of each member shall be sent to every member or his election agent.

11. Withdrawal of candidature.—(1) A member may withdraw his nomination for election to the Council by a notice in writing in Form D and, on receipt of such notice, the Returning Officer shall record thereon the place, date and time of its receipt.

(2) No member who has given notice under sub-rule (1) shall be allowed to cancel or withdraw such notice.

12. Final list of candidates.—(1) The Returning Officer shall send to all members contesting the election and to the agency, either by post or through electronic means, the final list of candidates, prepared after omitting the names of such of the members if any who have withdrawn their nomination, and accompanied by such particulars of every contesting members as are specified in Schedule 3 while stating that the said particulars are based on the particulars furnished by the member as per Schedule 2 to these rules.

(2) In case of voting through electronic means, the agency shall prominently display the final list of candidates on the electronic voting platform.

(3) The final list of candidates prepared by the Returning Officer shall be published on the webpage and the bulletin board of the Institute.

13. Code of Conduct for Election.—(1) With a view to maintain a healthy and peaceful atmosphere during the election process for ensuring a free and fair election, the Returning Officer shall issue a Code of Conduct for Election, approved by the Council, before publishing the dates fixed for the election, and shall place the same on the webpage and the bulletin board of the Institute.

(2) The Code of Conduct for Election shall contain instructions and norms to be observed by contesting members and their authorised agents during the course of the elections to the Council.

(3) The Code of Conduct for Election shall come into force from the date of publication referred to in sub-rule (2) of rule 3 and it shall be obligatory on the part of every member to ensure compliance therewith.

14. Death of member.—(1) If a member dies before the date of dispatch of either the ballot papers or user logins and passwords for voting by electronic means but after the last date fixed for withdrawal of nominations, the Returning Officer shall omit his name from the list of contesting members, under intimation to the agency.

(2) If a member dies and this becomes known to the Returning Officer after the commencement of the process of casting of votes, whether through postal ballot or through electronic means, but before the commencement of counting of votes, the votes cast for such deceased member shall be ignored.

(3) If a member dies and this becomes known to the Returning Officer after commencement of the counting of votes but before declaration of results of the election, the votes polled in favour of such deceased member shall be ignored.

(4) If a member dies and this becomes known to the Returning Officer after the declaration of results of the election and he has been declared elected, then the resultant vacancy shall be filled in accordance with the provisions of sub-section (3) of section 18 of the Act.

15. Members deemed to be elected if their number is equal to or less than number of members to be elected.—

(1) Where on the date of issue of the final list of candidates, the number of candidates is equal to or less than the number of members to be elected, the Returning Officer shall declare such candidates as duly elected.

(2) Where on the date of issue of the final list of candidates, the number of candidates is more than the number of members to be elected, the Returning Officer shall commence the process for election of the members to be elected.

16. Admissible number of votes.—(1) Every voter shall have one vote for every member to be elected.

(2) In order to cast his vote, a voter shall—

(a) place on his ballot paper a tick mark (✓) in the box against the name of every member he wants to vote for; and

(b) ensure that he does not vote for more members than there are to be elected.

17. Ballot paper.—The ballot paper for the election of members to the Council shall be in Form E.

18. Presence of member at time of scrutiny of nomination papers and counting of votes.—(1) A member shall, either himself or through his agent authorised by him in writing,—

(a) have the right to be present at the time of scrutiny of nomination papers and, in case of the election being conducted through paper ballot, at the time of counting of votes; and

(b) in case of the election being conducted by voting through electronic means, be entitled to discuss the process of voting through electronic means with the representative of the agency.

(2) The authorisation in writing referred to in sub-rule (1) shall contain the full name, address and membership number of the member authorising the agent and the same shall be produced before the Returning Officer.

(3) The Returning Officer shall record the presence of every member or his authorised agent, as the case may be, at the time of scrutiny of nomination papers and counting of votes.

19. Procedure for voting.—Voting for the election to the Council shall be held in the manner specified in Schedule 4.

20. Grounds for declaring ballot papers or electronic voting invalid.—A ballot paper shall be declared invalid on the following grounds, namely:—

(a) if a voter marks thereupon his name or signatures or makes any mark other than the mark referred to in clause (a) of sub-rule (2) of rule 16 by which either the ballot paper or the voter may become identifiable; or

(b) if it is not printed by or under the authority of the Council or is different in any manner from the ballot papers printed under rule 17; or

(c) if it is unmarked or from the mark made thereupon the candidate in whose favour the vote has been marked cannot be unambiguously determined; or

(d) if it contains more such marks as are referred to in clause (a) of sub-rule (2) of rule 16 than the number of members to be elected; or

(e) if it is so damaged or mutilated that its identity as a genuine ballot paper cannot be established; or

(f) if it is not returned in the cover sent along with it to the voter; or

(g) if voting is held through electronic means and the submission reaches the server after the date and time fixed for the purpose.

21. Time and date for counting of votes.—The Returning Officer shall fix the date and time at which counting of votes cast by paper ballot shall commence at the headquarters of the Institute, which shall be within fifteen days of the last date fixed for receipt of ballot papers, and shall give notice of such date and time in writing to every member or his agent.

22. Appointment of Assistant Returning Officer.—The Council may appoint two or more Assistant Returning Officers from amongst its officers to assist the Returning Officer in the performance of his duties.

23. Counting of votes and declaration of results.—The votes polled shall be counted in accordance with the procedure specified in Schedule 5 and the results of the election shall be published in Form F on the webpage and the bulletin board of the Institute .

24. Election not to be invalid due to omission, etc.—No election shall be deemed to be invalid merely by reason of any omission of the name of a member from the list of members eligible to vote, or any mistake in not allowing a member to vote, or the accidental inclusion of the name of a person not entitled to vote in the list of members eligible to vote or allowing such person to vote, or any irregularity or infirmity in the conduct of the election, including omission to send or delay in sending the ballot paper to a voter or the non-receipt of or delay in receipt of any ballot paper by a voter.

25. Duties of Returning Officer.—(1) The Returning Officer shall conduct the elections in accordance with these rules.

(2) The Returning Officer may assign any of his duties to be performed under these rules to an Assistant Returning Officer.

26. Duties of agency.—(1) The agency providing such electronic voting platform shall ensure that the process for electronic voting is explained in the electronic voting platform along with a list of frequently asked questions and responses thereto, and shall also ensure that all information, forms etc. required to be published under these rules, including the list of members referred to in sub-rule (2) of rule 12, are displayed prominently on the electronic voting platform.

(2) The agency shall generate and communicate the user login and password to each eligible member by print or email in a secure manner.

(3) The agency shall provide secured electronic platform for voting through electronic means.

(4) After the voting period is over, the agency shall provide to the Returning Officer a system-generated report containing member-wise details of the votes polled, which shall be verified against the list of eligible voters.

(5) After verification as referred to in sub-rule (4), the Returning Officer shall submit a report to the agency regarding discrepancies, if any.

(6) On receipt of report referred to in sub-rule (5), the agency shall furnish clarifications regarding the discrepancies and submit its final report specifying the name of the candidate, the number of votes polled against each candidates' name, the number of votes recorded against each candidates' name, and the number of votes cancelled.

(7) The agency shall perform such other duties as the Council may entrust to it.

27. Decision of Returning Officer to be final.—Save as otherwise provided in these rules, the decision of the Returning Officer on all matters pertaining to conduct of election and the procedure followed for such matters as are not specifically mentioned in these rules shall be final.

Explanation.—For removal of doubts, it is hereby clarified that the conduct of election shall include the process of counting of votes and declaration of results.

28. Vacancy in any seat not to hold up constitution of the Council.—If for any reason any seat is not filled up after the election, it shall not hold up constitution of the Council under sub-section (1) of section 12 of the Act.

29. Election expenses.—(1) No member whose name has been included in the final list of nominations under rule 12 shall incur expenditure in excess of such amount as the Council shall fix in consultation with the Central Government.

(2) Every member shall file with the Returning Officer, for placing before the Council, complete account of expenses incurred for the election, within fifteen days from the declaration of results of the election under rule 23.

30. Disciplinary action against member in connection with conduct of election.—(1) A member shall be deemed to have brought disrepute to the Institute under item A(2) of Part IV of the Schedule to the Act if, in connection with an election to the Council, he is found to have contravened the provisions of sub-rule (2) or sub-rule (3) or sub-rule (4).

(2) Only one manifesto shall be issued by a member in relation to the election after the date of publication of final list of nominations.

(3) In the interest of maintaining dignity in the course of the election process, a manifesto issued under sub-rule (2) shall conform to the following requirements, namely:—

- (a) a manifesto shall contain information regarding the member and shall not make any reference, directly or indirectly, to any other member;

- (b) the information which a member may furnish in a manifesto regarding himself shall not differ in any material respect from the information furnished by the Institute to the voters under rule 12, save for the inclusion in the manifesto of any additional information not contained in the information furnished under rule 12;
- (c) a manifesto issued under sub-rule (2) shall not contain any appeal to the voters on the basis of caste or on communal, religious, regional or sectional lines and shall not make any tall claim;
- (d) the distribution of a manifesto shall be restricted only to members of the Institute;
- (e) a certified copy of such manifesto shall be sent within fifteen days of its issue to the Returning Officer by Speed Post or registered post or by email or through a messenger;
- (f) while a member to the Council may repeat, in any form, the manifesto issued under sub-rule (2) without changing its contents, he shall not issue more than one manifesto.

(4) A member shall not adopt any of the following practices with regard to the election to the Council, namely:—

- (a) bribery, or any gift, offer or promise of any gift or gratification to any person by a member or by any other person with the member's connivance, with the object of directly or indirectly—
 - (i) inducing a member to contest or not to contest an election or to reward him for any act or omission; or
 - (ii) inducing a member to withdraw his membership to the Council or to reward such withdrawal; or
 - (iii) inducing a voter to vote or not to vote at an election, or as a reward for any act or omission;

*Explanation.—*For the purposes of this clause, “gratification”—

- (i) is not restricted to pecuniary gratification or gratification in money but shall include organising parties or providing any other form of entertainment, and all forms of employment, as reward;
- (ii) does not include the payment of any *bona fide* expenses incurred at or for the purpose of election;
- (b) undue influence, that is to say, any direct or indirect interference or attempt to interfere on the part of a member or any other person with the member's connivance, with free exercise of any electoral right;
- (c) the publication by the member or by any other person with the member's connivance, of any statement which is false, and which the member either believes to be false or does not believe to be true, in relation to the personal character or conduct of any candidate or in relation to the membership or withdrawal of any candidate, being a statement reasonably calculated to prejudice the prospects of that candidate's election;
- (d) the obtaining or procuring, or abetting or attempting to obtain or procure, by a candidate or by any other person with the member's connivance, of any assistance for the furtherance of the prospects of the member's election from any person serving under the Central Government or a State Government, other than the giving of vote by such person, if he is a member entitled to vote;
- (e) non-compliance with any of the directives or circulars or instructions issued by the Returning Officer under these rules in any matter relating to the election;
- (f) contesting the election representing a political party;
- (g) the receipt by a member or an agreement by a member to receive any gratification,—
 - (i) as an inducement or reward for standing or not standing as a candidate; or
 - (ii) as an inducement or reward for withdrawing his candidature; or
 - (iii) as an inducement or reward for himself or any other person for voting or refraining from voting; or
 - (iv) as an inducement or reward for inducing or attempting to induce any voter to vote or refrain from voting; or
 - (v) inducing or attempting to induce any member to the Council to withdraw his membership;

*Explanation.—*For the purposes of this clause the term “gratification” is not restricted to pecuniary gratifications or gratifications estimable in money and it includes all forms of entertainment and all forms of employment for reward;

- (h) contravention or misuse of any of the provisions of these rules, or making of any false statement knowing it to be false or without knowing it to be true while complying with any of the provisions of these rules;
- (i) any act referred to in clauses (a) to (h) when done by a member or any other person who is not a member.

SCHEDULE 1

(See sub-rule (1) of rule 5)

LIST OF VOTERS

1. Serial number:
 2. Full name of the member:
 3. Whether the voter is a fellow or an associate member:
 4. Address:
 5. Details of Internet address or e-mail address as furnished by a voter to the Institute, provided an express consent is given by the voter for its inclusion in the list of voters:
-

Signature and stamp of Returning Officer

SCHEDULE 2

(See sub-rule (3) of rule 8)

INFORMATION TO BE INCLUDED IN THE STATEMENT ACCOMPANYING
THE NOMINATION

1. Nomination of a member shall be accompanied by a statement signed and verified by the member containing the following information, namely:—
 - (a) Name, membership number and voter's serial number as mentioned in the list of voters:
 - (b) Date of birth:
 - (c) The date on which the Member became Fellow:
 - (d) Whether citizen of India:
 - (e) Whether found guilty of any professional or other misconduct, and whether consequently reprimanded or had his name removed from the Register or awarded "penalty of fine", as on the date of nomination:
 - (f) If the answer to (e) above is in affirmative, the following details, wherever applicable (separately for each misconduct for which found guilty):
 - (i) The offence under which found guilty:
 - (ii) The date of reprimand:
 - (iii) The date on which name was removed on account of above disqualification from the Register:
 - (iv) The total period of removal:
 - (v) The date on which the period of removal expired:
 - (vi) Whether the removal was on account of misconduct falling under the Schedule to the Act:
 - (vii) The date on which the penalty of fine was awarded:
 - (viii) Amount of penalty of fine:
 - (ix) The date on which the payment was made for penalty of fine awarded:

- (x) The date by which the restriction on standing for elections to the Council ended in terms of the proviso to sub-section (2) of section 12 of the Act;
- (g) Details of membership of the Council, both past and present, including holding of the office of the President and/or Vice-President of the Institute as to whether he is holding a post under the Central Government or a State Government as defined in clause (ii) of the Explanation to rule 6:
2. The statement referred to in paragraph 1 may also contain, at the option of the member, information concerning the member in respect of the following, namely:—
- (a) Academic qualifications (diplomas including post qualification diplomas and degrees and membership of professional bodies recognised by the Council);
 - (b) Merit awards (limited to first three positions) in examinations of recognised universities or professional bodies and examinations conducted by the Institute;
 - (c) Particulars of occupation:—
 - (i) Employment (designation, with name of present employer);
 - (ii) Practice (sole proprietor or in partnership, including the name of the firm);
 - (iii) Particulars of other occupation or engagement, if not covered by sub-clauses (i) and (ii) above;

.....
Signature of the member

Name:

Membership no.:

Address:

.....
.....

SCHEDULE 3

(See sub-rule (1) of rule 12)

1. Particulars of contesting member in the final list.—The final list of nominations shall be accompanied by following particulars of contesting member, to the extent they have been supplied by the member under sub-rule (3) of rule 8, namely:—

- (a) Name, membership number, address and voter's serial number; as per the list of voters;
- (b) Date of birth;
- (c) The date on which the member became Fellow;
- (d) Whether citizen of India;
- (e) Whether found guilty of any professional or other misconduct with details thereof, such as, the nature of misconduct and the punishment awarded;
- (f) Details of past and present membership of the Council, including holding of the office of Vice-President of the Institute;
- (g) Academic qualifications (diplomas including post qualification diplomas and degrees recognised by the Central Government or a State Government or the Council and membership of professional bodies recognised by the Council);

- (h) Merit awards (limited to first three positions) in the examinations of recognised universities or professional bodies and the examinations conducted by the Institute;
- (i) Particulars of occupation:—
 - (1) Employment (designation with name of present employer);
 - (2) Practice (sole proprietor or in partnership including the name of the firm);
 - (3) Particulars of other occupation or engagement, if not covered by sub-clauses (1) and (2) above;

2. Record to be kept by Returning Officer.—(1) The Returning Officer shall, at the time of dispatch of the ballot paper, place against the name of the voter in the list of members eligible to vote, a mark to denote that the voter has been sent a ballot paper.

3. Ballot box.—The ballot box shall be so constructed that a ballot paper can be inserted there into but cannot be withdrawn therefrom (without the box being unlocked or the seals being broken).

SCHEDULE 4

(See rule 19)

PROCEDURE FOR VOTING

1. Ballot papers, user login and password to be sent by post.—(1) Not less than twenty-one days before the last date and time announced under the provisions of clause (h) of sub-rule (2) of rule 3 for receipt of ballot papers back from the voters, the Returning Officer shall send by registered post or speed post or by courier service to the voters, the ballot paper together with the instructions contained in Form A, explaining the manner in which the vote shall be recorded thereon and the manner in which the recorded ballot papers shall be returned and specifying the date and hour by which it shall reach the Returning Officer.

(2) In the event of election to be held by electronic means, the Returning Officer or the agency shall send by registered post, or speed post or courier service or email to the voters the user login and password required for electronic voting along with the instructions explaining the procedure for voting by electronic means thereon.

(3) The instructions for electronic voting shall clearly state the following, namely:—

- (i) that the Institute is providing facility for voting by electronic means;
- (ii) that the members who have cast their vote by remote electronic voting shall not be entitled to cast their vote again;
- (iii) the process and manner for voting by electronic means;
- (iv) the time schedule, including the time period during which the votes may be cast by remote electronic voting;
- (v) once the member has cast his vote through electronic mode, he will not be able to modify and change the manner in which he has cast his vote;
- (vi) the details about the user login and password.

(4) If the voter is residing outside India, the ballot papers shall be sent by air-mail post under certificate of posting at least thirty days before the last date and time announced for receipt of ballot papers by post.

2. Issue of undelivered and fresh ballot papers.—(1) Where the ballot paper is, for any reason, returned undelivered, the Returning Officer may re-send the ballot paper by registered post or speed post or courier service on a request being made by the voter.

(2) If any voter has inadvertently dealt with the ballot paper sent to him in such a manner that they cannot conveniently be used, a fresh ballot shall be sent to him after he has returned the spoiled ballot paper and the Returning Officer has satisfied himself regarding such inadvertence.

(3) The Returning Officer shall cancel spoiled ballot papers so returned and keep them in a separate packet after noting thereon the count of such ballot papers put in the packet.

(4) If the voter has misplaced the user login and password provided for voting through electronic means, he shall intimate the Returning Officer regarding the same, and the Returning Officer, who shall inform the agency, and consequent upon receipt of such information, the agency shall deactivate the previously issued user login and password and shall issue fresh user login and password to the voter.

3. Timely receipt of ballot papers.—All packets containing ballot paper shall be addressed to the Returning Officer with outer cover as per Form G and the Returning Officer shall, thereafter, enter in the inward register the date and

time of receipt of such packet and then insert it into the ballot box, and those which do not reach the Returning Officer by the date and time specified shall be set aside and kept together in a packet with the count of such covers recorded on the packet.

4. Scrutiny of voting process.—The Returning Officer shall scrutinise the voting or remote electronic voting process, as the case may be, in a fair and transparent manner:

Provided that the Returning Officer may take assistance of any other person who is well-versed with the electronic voting system.

SCHEDEULE 5

(See rule 23)

PROCEDURE FOR COUNTING OF VOTES AND DECLARATION OF RESULTS

1. Counting of votes.—On the date, time and place fixed under rule 21 for the purpose of counting of votes, the Returning Officer shall take the following steps, namely:—

- (a) allow the member or his agent to be present at the counting, an opportunity to inspect the ballot box, and its seals for satisfying that they are in order;
- (b) if he is satisfied that the ballot box is in order,—
 - (i) the ballot box shall be opened and the covers containing ballot papers shall be taken out from it and shall be counted and the number thereof be recorded in a statement;
 - (ii) allow the member or his agent present at the counting to inspect the covers containing the ballot papers and satisfy that they are in order;
- (c) set aside the covers not received in accordance with paragraph 1 of Schedule 4;
- (d) open the outer covers as per Form G containing the covers having the ballot papers;
- (e) set aside the covers containing more than one ballot paper cover;
- (f) open the ballot paper covers and take out the ballot papers from each cover and record the number thereof in a statement and make a separate packet of such ballot papers;
- (g) the ballot papers shall be examined and any invalid ballot papers as per rule 20 shall be rejected;
- (h) before rejecting any ballot paper, the Returning Officer shall allow each member or his representative present a reasonable opportunity to inspect the ballot paper but shall not allow him to physically handle it or any other ballot paper;
- (i) the Returning Officer shall endorse on every ballot paper which he rejects, the word “rejected” and the grounds of rejection in abbreviated form either in his own hand or by means of rubber stamp and shall initial such endorsement;
- (j) all ballot papers rejected under this rule shall be bundled together;
- (k) the Returning Officer shall then count the number of rejected ballot papers and record the count;
- (l) in the event of “voting through electronic means”, the agency shall provide its final report containing name of the candidate, number of votes polled on candidate’s name, number of votes recorded on candidate’s name and number of votes cancelled.

2. Procedure in case of a tie.—When after counting of votes, a tie is found to exist between two or more candidates, then lots shall be drawn between the candidates in the tie and the successful candidate shall be considered to have received an additional vote.

3. Provision for recounts.—Any member or, in his absence, his agent may, at any time during the counting of the votes, request the Returning Officer in writing to re-examine and re-count the votes of all or any members along with reasons for asking for such a recount, and after receipt of request of the member, the Returning Officer may re-examine and re-count the same if he deems fit.

4. Report to the President.—After the counting of votes is over, the Returning Officer shall prepare a statement showing the number of votes received by each member, and submit it to the Council. The statement shall be in descending order of the number of votes received by the candidates. The Returning Officer shall submit to the President the results of the counting in Form E and a report on the counting process which shall include reconciliation of the covers containing ballot papers received by him.

FORM A

(See rule 7)

GUIDANCE TO THE VOTER FOR FILLING UP THE BALLOT PAPER

To:

All Fellow and Associate Members

Dear Member,

Re: Election to the Council (.....)

The following [*] valid nominations, arranged in alphabetical order, have been received for filling up the vacancies, that have arisen.

- | | |
|----|-----|
| 1. | 2. |
| 3. | 4. |
| 5. | 6. |
| 7. | ... |

Since the number of nominations is more than the number of vacancies, in accordance with the Rules for Election of members to the Council it has become necessary to hold elections to elect [*] members for filling up the vacancies.

A ballot paper is enclosed herewith containing the names of members contesting the election with their short resume. The election system is as under:

1. Indicate your choice by placing a tick mark [√] against the name of the candidate whom you wish to vote.
2. **DO NOT** tick against more than [*] candidates. However, you may tick for less than [*] candidates.
3. Placing ticks against more than [*] candidates would render your ballot paper invalid.
4. Do not sign or put any other indication on the ballot paper.
5. After indicating your choice as mentioned above, the ballot paper shall be placed in the enclosed pink coloured cover provided by us and close it. Please do not write anything on this cover.
6. Please put the coloured closed cover containing the ballot paper in the white cover bearing the address of the Returning Officer by name and close it. Please write your name, your class of membership and sign above your name clearly written on the outer flap of the white cover where it is closed. This is for identification with the voters list. If a member fails to put on the flap with his name and signature, the ballot paper shall be treated as invalid.
7. The white cover should reach the Returning Officer, latest by 5:00 p.m., on _____ [specify date]. The covers containing ballot paper received after the said date and time shall be taken as invalid.

Yours faithfully,

.....

Signature of Returning Officer with stamp

* Insert number

Note: Only the ballot paper enclosed herewith, which has been duly authenticated, shall be accepted.

FORM B

(See sub-rule (1) of rule 8)

FORM OF NOMINATION FOR ELECTION TO THE COUNCIL, YEAR

I, , a Fellow Member of the Institute, do hereby express my willingness to be elected as a Member of the Council of the Institute.

Date:

Signature of member

I, , a Fellow/Associate [strike out whichever is not applicable] Member of the Institute, do hereby propose Mr/Ms..... , a Fellow Member, for election as a Member of the Council of the Institute.

Date:

Signature of proposer

I, , a Fellow/Associate [strike out whichever is not applicable] Member of the Institute, do hereby second the above proposal.

Date:

Signature of seconder

FORM C

(See rule 10)

EMBLEM OF THE INSTITUTE

LIST OF CONTESTING MEMBERS

Sl. No.	Name of the contesting member	Specimen signature of contesting member
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		

.....
Signature and stamp of Returning Officer

FORM D

(See rule 11)

EMBLEM OF THE INSTITUTE

NOTICE OF WITHDRAWAL OF NOMINATION FROM ELECTION TO THE COUNCIL

I, , a Fellow Member of the Institute, do hereby withdraw my membership from election to the Council, dated.....

Date:

.....
Signature of member

Name:

Membership no.:

Address:

.....
.....

FORM E

(See rule 17)

EMBLEM OF THE INSTITUTE

BALLOT PAPER FOR ELECTION TO THE COUNCIL

(Names in alphabetical order)

Sl. No.	Name of the member	Vote#
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		

Place tick mark [√] here against the name of the member you are voting for. More than [*] ticks shall render the ballot paper invalid.

* Insert number

FORM F

(See rule 23)

RESULTS OF ELECTION TO COUNCIL

The Returning Officer has submitted his report to the President, in terms of clause 4 to Schedule 5 of the rules on the process of election completed on *dd-mm-yy*.

[*] nominations were received for filling up the [*] vacancies on the Council and elections were held as per the provisions of the rules.

The candidates along with the number of votes polled in descending order are as under:

Sl. No.	Name and address of the candidate	Number of votes polled	Number of votes recorded	Number of votes cancelled
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				

* Insert number

..... Signature and stamp of Returning Officer

FORM G

(See Schedule 4)

OUTER COVER ADDRESSED TO RETURNING OFFICER BY NAME

Postage
stamp

Ballot Paper – NOT TO BE OPENED BEFORE COUNTING

Mr / Ms

Returning Officer

Institute of Actuaries of India

Mumbai

[F. No. M-18013/03/2020-Ins.I]

SAURABH MISHRA, Jt. Secy.